क्रम-संख्या–163

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, रविवार, 7 अगस्त, 2016

श्रावण 16, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1050 / 79-वि-1–16-2(क)-2-2016

लखनऊ, 7 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2016) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2016)

[भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत "लाभरहित" सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में,–

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रति–कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति–कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः "कुलाधिपति", "प्रति–कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति–कुलपति" से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) "संस्था/महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अध्यादेश और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है:

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) "विनियामक निकाय" का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के कमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय ;

(ध) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) "सोसाइटी" का तात्पर्य एसोसिऐशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत "लाभरहित" सोसाइटी है;

(प) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–सोसाइटी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अध्यादेश के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:–

(क) रुपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जायेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगी;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें [उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनबद्ध होगी;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगी;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का कय करेगी तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगी;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल–कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्ध होगी;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो की पूर्ति करेगी;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अध्यादेश एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को "पब्लिक डोमेन" में रखेगी;

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगी;

(ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए सोसाइटी को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसाइटी से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति ;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, जिसका निर्वहन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यकम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्ध, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्ध, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यकम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय–समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर व उपग्रह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यकमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय–समय पर विनिश्चत किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी कियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अर्न्तगत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यकमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यकमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशो के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यो की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यकम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य;

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11—(1) सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12—(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14—(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15-निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुल सचिव

16-(1) कुल-सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुल-सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18-कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20-छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22-(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

23-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा। कार्यपरिषद्

(2) कार्यपरिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्यपरिषद का सदस्य होगा।

24-(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी। विद्या परिषद

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

25-(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी। वित्त समिति

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जायें।

26-(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें। नियोजन बोर्ड

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाएं।

27-संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं। संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

28-(1) कार्य परिषद इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी। परिनियमों को बनाने की शक्ति

(2) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अध्यादेश के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29–इस अध्यादेश और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिर्पोट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनॉक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं होगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनॉक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अध्यादेश या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य को रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अध्यादेश के अधींन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को "जनसामान्य के विचार क्षेत्र" में रखा जायेगा।

माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अध्यादेश अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का दाायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) यदि राज्य सरकार को इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अध्यादेश के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अध्यादेश के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अध्यादेश का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अध्यादेश के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अध्यादेश के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अध्यादेश के उपबन्धों का प्रथमदृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी, यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष कियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

(x) to organize and to undertake extramural studies and extension service; and

(y) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Admission and Standards

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws and University Grants Commission norms for quality for the time being in force.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other statutory bodies as the case may be.

(3) The teacher student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and specific Councils.

(4) Academic performance of the University with respect to standards set by the UGC/State Government/Other Regulatory Bodies shall be periodically reviewed by a Committee of Academic Experts constituted by the Chancellor consisting of one Chairman and four members including two members as nominees of the State Government.

(5) The Chairman and other four expert members shall be from academic field not below the rank of Professor and from one of the specialization being run in the University. The report of the Committee shall be submitted to the State Government by the Chancellor and discussed in the Court of the University for further, necessary actions. A copy of the report along with the actions taken by the University shall be sent to the UGC and State Government and also displayed in the public domain.

University open to all classes and creeds

9. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt to impose on any person any test whatsoever of his religious belief profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat :

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens shall be regulated by the order of the State Government issued from time to time.

Officers of the University

10. The following shall be the officers of the University:-

(a) the Chancellor;

(b) the Pro-Chancellor;

(c) the Vice-Chancellor;

(d) the Pro-Vice-Chancellor;

(e) the Director/Principal;

(f) the Registrar;

(g) the Dean of Faculty;

(h) the Dean of Students' Welfare;

(i) the Controller of Examinations;

(j) the Chief Proctor;

(k) the Treasurer;

(l) the Finance Officer; and

(m) Such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Management Committee of the Society for a period of three years. The Chancellor

(2) The Chancellor shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.

(3) The Chancellor may by writing under his hand addressed to the Society resign from his office.

12. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Management Committee of the Society for a period of three years. The Pro-Chancellor

(2) The Pro-Chancellor shall assist the Chancellor in discharging his duties and preside at the convocation in his absence.

(3) The Pro-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chancellor resign from his office.

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of three years. The Vice-Chancellor

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Academic Council and Planning Board of the University, and shall exercise general, supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Ordinance and shall convey to such authority the action taken by him on such matters:

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section may prefer an appeal to the Chancellor within thirty days from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse such action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

14. (1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice- Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. The Pro-Vice-Chancellor

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice- Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice- Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Society.

15. The Director/Principal shall be appointed, in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. Director/Principal

16. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed. The Registrar

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

Dean of Faculty

17. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Treasurer

18. The Treasurer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

19. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of Finance Committee.

Other Officers

20. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University including the Dean of Students' Welfare, Controller of Examinations and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

Authorities of the University

21. The following shall be Authorities of the University:-

(a) the Court;

(b) the Executive Council;

(c) the Academic Council;

(d) the Finance Committee;

(e) the Planning Board;

(f) the Board of Faculties;

(g) the Admissions Committee;

(h) the Examinations Committee; and

(i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Court

22. (1) The Constitution of the Court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

(2) Subject to provisions of this Ordinance the Court shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;

(d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

23. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The constitution of the Executive Council, the term of the office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed.

(3) An officer of Higher Education Department not below the rank of Joint Secretary to the Government shall be the member of the Executive Council.

The Academic Council

24. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The money credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely :–

(a) development fees, which may be charged from students;

(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;

(c) all contributions made by the Society;

(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of Funds

44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall subject to general supervision and control of the Court be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Financial Condition

45. The University shall not be eligible for any grants in aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

46. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the time being in force. and the fees structure shall be put in public domain.

Power of State Government to call for information and records

47. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finance and other affairs of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the Ordinance or the Statutes or Ordinances made thereunder may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.

Dissolution of University

48. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studies in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during dissolution

49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 48 shall be met out of the Permanent Endowment Fund, the general fund and the development fund.

(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing off the properties or assets of the University by the State Government.

De-recognition of the University by the State Government

50. (1) Where the State Government receives a complaint that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Ordinance, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than sixty days, as to why the University should not be derecognized.

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that a *prima-facie* case of mismanagement or violation of the provisions of this Ordinance in the functioning of the University is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.

(3) For the purpose of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into the allegations of violation of the provisions of this Ordinance.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Ordinance have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;

(d) receiving evidence on affidavits; and

(e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Ordinance, it shall direct the University to make necessary improvement and suggest for proper implementation of the provisions of this Ordinance.

(6) If it is observed that the University is violating the provisions of this Ordinance continuously for three times the State Government may require the University to show cause within such time which shall not be less than two months, as to why the University should not be derecognized. If, upon receipt of the said reply of the University, the State Government is satisfied that *prima-facie* case of violation of the provisions of this Ordinance, is made out it may de-recognize the University by a notification published in the Official *Gazette*.

(7) During the period of the management of the University under sub-section (6) the State Government may utilize the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purpose of the management of the affairs of the University; if the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose off the assets or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub-section (6), shall be laid before both Houses of the State Legislature before implementation.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

51. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Ordinance as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University, failing which the State Government may take a reasoned action against the University.

Status of Assets / Liabilities on dissolution / de-recognition

52. All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund also the liabilities of the University will belong to the Society in case of dissolution of the University under any provision mentioned herein above in this Ordinance.

Power to remove difficulties

53. (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to the provisions of this Ordinance, direct that the provisions of this Ordinance shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of The State Legislature as soon as may be after it is made.

RAM NAIK,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
RANGNATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 316 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(667)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 10 सा0 विधायी–2016–(668)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

संख्या– 908 /सत्तर–1–2016–20(5)/2014 टी0सी0

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज,
'ओ' पाकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2016

विषयः–आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के प्रारंभ हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 30–8–2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 की धारा–5 के अन्तर्गत आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश का संचालन प्रारम्भ करने हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 की धारा–5(1) में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश का संचालन प्रारम्भ करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकार–पत्र निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

iimt.G.O

Ph 23236351, 23232701, 23237721, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

www.ugc.ac.in.

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

SPEED POST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

No.F.8-23/2016(CPP-I/PU)

November, 2016

30 NOV 2016

The Registrar
IIMT University,
"O" Pocket, Ganga Nagar,
Mawana Road, Meerut – 250 001,
Uttar Pradesh.

Sub:- **Establishment of IIMT University, "O" Pocket, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut – 250 001, Uttar Pradesh.**

Sir,

With reference to your letter No.IIMT/UNIV/UGC/04 dated - 28.11.2016 on the subject cited above, I am directed to inform you that the UGC has received the **(U.P. Act No.32 of 2016)** of the State Legislature of Uttar Pradesh wherein **IIMT University, "O" Pocket, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut – 250 001, Uttar Pradesh**, has been established as a Private University vide **Notification No.1356(2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-11-2016** dated - **16.09.2016**. In view of the establishment of the **IIMT University, "O" Pocket, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut – 250 001, Uttar Pradesh**, by State Act, the name of the University has been included in the list maintained by the UGC on its website www.ugc.ac.in.

1. The inclusion of the name of the University in the list of Universities maintained by the UGC does not by itself allow the University to make admissions in its programmes. This may be done only after creation of required academic and physical infrastructure facilities, including library, laboratories and appointment of teaching and supporting staff as per the norms and standards laid down by the UGC and Statutory Council(s) concerned.

2. The University is now requested to submit detailed information in the enclosed format **(Annexure-I) (soft copy as well as hard copy)** along with supporting documents duly attested by the Registrar of the University within a period of 3 months from the receipt of this letter. This format along with appendices is also available on the UGC website www.ugc.ac.in

3. After receipt of the Information in the above mentioned format, the following procedure would be adopted by the UGC for inspection of the University:-

   a. The information received from the University in the prescribed format would be posted on the UGC website within 10 days of the receipt of the information (Annexure-I). Comments would be invited from the general public within 1 month thereafter about the information submitted by the University. The same information (Annexure-I) shall also be posted by the University on its website immediately. The comments received from the general public would be placed before the visiting UGC Expert Committee for perusal.

   b. An Expert Committee would be constituted by the UGC to ascertain whether the University fulfils the criteria in terms of programmes, faculty, infrastructural facilities, financial viability, etc. as laid down from time to time by the UGC and other concerned statutory bodies such as AICTE, BCI, MCI, DCI, INC, NCTE, PCI etc.

c. The UGC Expert Committee would visit the University within 3 months of the receipt of the information (Annexure-I) for on the spot assessment of infrastructure and other facilities available with the University. The report prepared by the UGC Expert Committee would be sent to the University within 2 weeks of the completion of the visit for comments.

d. The University may respond to the report within a period of two weeks after its receipt. After receipt of comments from the University, the report and comments from the University, if any, would be placed before the Commission for consideration.

e. The Commission shall take final decision in the matter. It may require the University to submit a compliance report in respect of the observations/suggestions of the UGC Expert Committee. The compliance report submitted by the University shall be placed before the Commission for consideration.

f. On approval of the Commission, an Approval Letter would be issued by the UGC to the effect that the University fulfills the criteria in terms of programmes, faculty, infrastructural facilities, financial viability, etc. as laid down from time to time by the UGC and other concerned statutory bodies.

g. If it is found that the Private University has, even after getting an opportunity to do so, failed to comply with the provisions of the various UGC Regulations including UGC (Establishment of and maintenance of standards in Private Universities) Regulations, 2003 and suggestions given by the UGC Expert Committee, the Commission may pass an order prohibiting the University from offering any course for the award of the degree and/or the post-graduate degree/diploma, as the case may be, till the deficiency is rectified.

h. The UGC may also take necessary action against a University awarding a first degree and /or a post-graduate degree, which are not specified by the UGC and inform the public in general through a public notification.

As per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Prof. Yashpal Vs.State of Chhattisgarh, there is no provision to have Regional Centres/off-campus centres beyond the territorial jurisdiction of the State. In view of the judgement of Hon'ble apex court, the University is requested to adhere to the following.-

a No off-campus centre(s) is opened by the University outside the territorial jurisdiction of the State in view of the judgement of Hon'ble Supreme Court of India in case of Prof. Yashpal vs. State of Chhattisgarh.

b In case the University has already started any off campus centre outside the State, it must be closed down immediately. It may also be ensured that any off campus centre within the State shall be opened only as per the provision laid down in the UGC (Establishment of and maintenance of standards in Private Universities) Regulations, 2003 and with the prior approval of UGC.

c The University shall not have any affiliated Colleges.

d The University has to follow UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil/Ph.D degree) Regulations, 2009.

5. The University is required to follow the UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulation, 2003 and other Regulations Issued from time to time and posted on UGC website www.ugc.ac.in.

Yours faithfully,

(Kundla Mahajan)
Under Secretary (CPP-1)

संख्या – 1167 /सत्तर-1-2016-20(5)/2014

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
5. सचिव, बार काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
6. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. सचिव, फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
8. सचिव, नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2016

विषयः–एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, 'ओ' पाकेट, गंगानगर, मवाना रोड़, मेरठ द्वारा निजी क्षेत्र में प्रायोजित आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के संचालन के संबंध में।

महोदय,

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016) विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या–1356/79–वि–1–16–1(क)–11–2016 दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रख्यापित किया गया है। उक्त निजी विश्वविद्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ को आवंटित 'ओ' पॉकेट गंगानगर मवाना रोड, मेरठ की भूमि पर स्थापित है। एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, 'ओ' पाकेट, गंगानगर, मवाना रोड़, मेरठ द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व से निम्नांकित संस्थाएं संचालित हैं :–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय
1	आई0आई0एम0टी0 इंस्टीटयूट आफॅ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी, मेरठ	डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	आई0आई0एम0टी0 होटल मैनेजमेन्ट कालेज, मेरठ	डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ
3	आई0आई0एम0टी0 मैनेजमेन्ट कालेज, मेरठ	डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ
4	आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ मेडिकल सांइसेस, मेरठ	डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
5	आई0आई0एम0टी0 कालेज आफ एजुकेशन, मेरठ	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
6	आई0आई0एम0टी0 लॉ कालेज, मेरठ	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
7	आई0आई0एम0टी0 इंजीनियरिंग कालेज, मेरठ (डिपार्टमेट आफॅ	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

6	बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0जे0एम0सी0 बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) आई0आई0एम0टी0 कालेज आफ टेक्नोलाजी, मेरठ	प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ

2– 'आई0आई0एम0टी0 यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016' की धारा- 7 -'विश्वविद्यालय **की शक्तियां**' की उपधारा–'क' एवं 'ख' के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त संस्थाएं 'आई0आई0एम0टी0 यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश' के अधीन संचालित की जानी हैं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

immt.G.O